बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2/अ0प्र0–1–13/2016 1689 /पटना, दिनांक :– 7-8-23

श्री चन्द्र किशोर साहा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के विरूद्ध अगस्त 2015 का मासिक लेखा विवरणी ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को समर्पित नहीं करने के आरोप पर आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 1460 अनु0 दिनांक 27.04.2016 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री साहा द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप मामले की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना से करायी गयी। समीक्षा के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री साहा को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री चन्द्र किशोर साहा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

3/8/2023
(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–13/2016 1689 /पटना, दिनांक :– 7.8.23

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री चन्द्र किशोर साहा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/2023
विशेष सचिव